<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001692011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—318/11</u> संस्थापित दिनांक—03.08.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा : आरक्षी केन्द्र चन्देरी रि	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—देवेंद्र सिंह पुत्र ई ग्राम चकलाखेडा थाना	श्वर सिंह बुंदेला आयु 38 साल निवासी । जखौरा जिला ललितपुर उ०प्र०। आरोपी
राज्य द्वारा आरोपी द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। :– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 25.02.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफतारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का आहत सूर्यपाल से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को आहत सूर्यपाल के संबंध में भादिव की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279 एवं आहत रामरतन के संबंध में भादिव की धारा 337 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी दिमान सिंह लोधी ने दिनांक 10.07.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह राजघाट रोड एचएससीएल पर खडा था जहां उसके चाचा रामरतन लोधी सायकिल से राजघाट तरफ से आ रहे थे तभी गोधन तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो लोग बैठे थे, मोटरसाईकिल वाला गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया एवं उसके चाचा की सायकिल में टक्कर मार दी जिससे चाचा को चोटें आईं, मोटरसाईकिल वाला भी संतुलन खोकर रोड पर गिर पड़ा जिससे चलाने वाले एवं उसके साथ बैठने वाले को भी चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 307/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.07.11 को समय 20 बजे एचएससीएल के सामने राजघाट रोड पर बजाज प्लेटीना मोटरसाईकिल क्रमांक यूपी94 डी5107 को तेजी व लापरवाही से चलाकर रामरतन, सूर्यपाल का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए मोटरसाईकिल को गिराकर रामरतन, सूर्यपाल को चोटें पहुंचाकर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 दिमान सिंह, अ.सा. 02 रामासरे, अ.सा. 03 सुखराम, अ.सा. 04 जसरथ सिंह, अ.सा. 05 डॉ आर पी शर्मा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 दिमान सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी -80को नहीं जानता और न ही उसे पहचान सकता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह मोटरसाईकिल से बढेरा-राजघाट रोड जा रहा था। तब घटनास्थल पर रामरतन पडे हुए मिला था, किंत् मोटरसाईकिल चालक नहीं मिला था। उक्त साक्षी के अनुसार रामरतन ने उसे टक्कर मारने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार वे लोग रामरतन को अस्पताल ले गए थे तथा घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 उनके द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उससे प्रपी 02 के नक्शामौका पर घटना वाले दिन दस्तखत कराए गए होंगे। अ.सा. 02 रामासरे ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे रामरतन ने बताया था कि वह मोटरसाईकिल से राजघाट की तरफ जा रहा था तब रामरतन को टक्कर लग गई थी जिससे उसे चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी का नाम नहीं जानता। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक रामरतन को टक्कर मारी गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को टक्कर मारते हुए नहीं देखा। अ.सा. ०३ सुखराम ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता और न ही उसे पहचानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी ने तेजी से मोटरसाईकिल को चलाकर टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने प्रपी 04 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया है।

09— अ.सा. 04 डॉ आर पी शर्मा द्वारा प्रकरण के आहत रामरतन एवं सूर्यपाल का मेडिकल परीक्षण दिनांक 10.07.11 को किया जाना बताया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार आहत रामरतन के शरीर पर तीन चोटें थीं जिसकी रिपोर्ट प्रपी 07 है तथा आहत सूर्यपाल के शरीर पर चार चोटें थीं जिसकी रिपोर्ट प्रपी 08 है। उक्त रिपोर्टानुसार आहतगण को किसी सख्त एवं भौंथरी वस्तु से चोटें आई थीं। प्रकरण में आरोपी देवेंद्र का मेडिकल भी संलग्न है जिसका मेडिकल परीक्षण उक्त साक्षी द्वारा करना ही बताया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी के शरीर पर तीन चोटें थीं जिसकी रिपोर्ट प्रपी 09 है। अ.सा. 04 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा आरोपी से प्रपी 06 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी।

10— अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 03 द्वारा अपने कथनों में यह नहीं बताया गया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा ही प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चालित किया गया। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत एक भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने ही प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चालित कर प्रकरण के फरियादी को टक्कर मारी गई थी। यद्यपि प्रकरण में आरोपी का मेडिकल भी संलग्न है, किंतु मात्र इस आधार पर कि आरोपी को भी उक्त घटना दिनांक को चोटें आई थीं, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर फरियादी व आहत को टक्कर मारी गई थी। अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 03 के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया एवं फरियादी एवं आहत को टक्कर मारकर उपहित कारित की गई।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 279 एवं आहत रामरतन के संबंध में भादवि की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)